केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
आँचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600 फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./प्रशा./57/खण्ड VIII/ 978 दिनाँक 11.03.2015

संलग्नक के अनुसार

कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर) की प्रयोगशाला जो पिकप भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010 में स्थित है, के लिए केमिकल्स, ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर एवं फिल्टर सामग्री इत्यादि हेतु निम्न विवरण के अनुसार दिनाँक 01.05.2015 से अगले एक वर्ष के लिए ***वार्षिक दर अनुबन्ध (Annual Rate Contract)*** के प्रस्ताव हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं -

S. No.	Name of the Item	Brand of Items
1	***Chemicals***	Merck , Hi-Media , S. D. Fine, RFCL (Renkem), Sigma Aldrich, Loba chemie, Molychem etc.
2	***Glassware***	Borosil , Merck , Riviera, JSGW, Renkem
3	***Plastic Ware***	Hi - Media, Tarsons, Merck , RFCL (Renkem) etc.
4	***Filter Paper, Media Pads and Filtration Products/Accessories:***	Whatman, Hi-Media , Millipore , Pall India, Merck S.D.Fine etc.

(उक्त ब्रांडस के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठित ब्रांडस के आइटम भी दिये जा सकते हैं)

इस संबंध में ***नियम व शर्तें*** अग्रलिखित हैं-

01. कोटेशन इस कार्यालय में दिनाँक 16.04.2015 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। कोटेशन खोलने की तिथि 17.04.2015 अपराह्न 3.00 बजे निर्धारित है, फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उक्त तिथि व समय पर आयोजित बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।

02. कोटेशन को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा कोटेशन क्रमॉक जेड. ओ.एल./प्रशा./57/खण्ड-VIII/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। कोटेशन को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑंचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।

03. बोर्ड एक या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोटेशन खोले जाने की तिथि को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता हैं।

04. कोटेशन पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो स्पष्ट रूप से काट कर सुधार करने के उपरांत उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।

05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।

06. दिए गए दर विवरण के अनुसार तथा पैकिंग, लोर्डिंग तथा अनलोर्डिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। विक्रय कर या व्यापार कर यदि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस. टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।

07. निर्धारित तिथि तथा समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

08. कृपया अपनी निविदा को अच्छी तरह मुहरबंद करके भेजें अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

09. कृपया कोटेशन के साथ अपने लखनऊ, कानपुर एवं दिल्ली स्थित अधिकृत आपूर्ति कर्ता फर्मों के नाम व वर्तमान पता तथा मूल्य/अधिकतम छूट का उल्लेख तथा नवीनतम उत्पाद सूची अवश्य संलग्न करें।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. टाइपिंग या लिपकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

भवदीय

(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग, के. प्र. नि. बोर्ड, दिल्ली - कृपया वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. प्रभारी, प्रयोगशाला, आँ. कार्या., लखनऊ
3. कार्यालय प्रति, आँ. कार्या., लखनऊ

अनुभाग अधिकारी